रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2000/चैत्र 30, 1922
No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2000/CHAITRA 30, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

(प्रवर्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 340 (अ).—केंद्रीय सरकार हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) (संशोधन) नियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) नियम, 1986 में,-

(i) नियम 1 के उपनियम (2) में, संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) नियम 2 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

" (ख) 'प्राधिकृत अधिकारी' से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ, सहायक निदेशक की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी या, जिस नाम से भी उसे पुकारा जाए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है"

(iii) नियम 3 के उपनियम (2) में "सामान्यतया" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) नियम 4 के उपनियम (3) के खंड (ख) की पंक्ति 5 में " प्राधिकृत अधिकारी को" शब्दों के पश्चात् " दो मास की अवधि के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(v) नियम 4 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (7) (क) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र मामला उस स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को जिसे मामले का अन्वेषण करने की अधिकारिता है, रिपोर्ट करेगा ।

(ख) प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को भी, अपने द्वारा किए गए कार्य की व्याख्या देते हुए मामले की रिपोर्ट करेगा ।";

(vi) नियम 5 के परंतुक में "परंतु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु प्राधिकृत अधिकारी मूल्यांकन समिति की जिसमें पूर्वोक्त अभिकरणों के प्रतिनिधि होंगे, समपहृत माल के उनके द्वारा मूल्यांकन और व्ययन के लिए एक बैठक करेगा :

परंतु यह और कि"

[फा. सं. 18/4/88-डी. सी. एच./सी. ई. ओ. (99)/वाल्यूम III]

अरुण गुप्ता, अपर सचिव और विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

(Enforcement Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2000

G. S. R. 340 (E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 19 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Rules, 1986, namely:-

1. Short title and commencement:-
   (1) These rules may be called the Handlooms (Reservation of Articles for Production) (Amendment) Rules, 2000.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Rules, 1986, -

(i) in rule 1, in sub-rule (2), for the words "on and from", the words "on" shall be substituted;

(ii) in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) `authorised officer' means any officer subordinate to the Central Government or to the State Government not below the rank of Assistant Director, or by whatever name called or to any authority as may be authorised by the Central Government under Section 15 of the Act,"

(iii) in rule 3, in sub rule (2), the word "normally" shall be omitted;

(iv) in rule 4, in sub rule (3), in clause (b), at the end, the following words shall be added, namely:-

"within a period of two months";

(v) in rule 4, in sub rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) (a) The authorised officer, after search and seizure, shall as soon as possible report the matter to the officer incharge of the local police station having jurisdiction to investigate the case.

(b) The authorised officer shall also report the matter to the Central Government or the State Government as the case may be explaining the action taken by him.";

(vi) in rule 5, in the proviso, for the words "provided that", the following shall be substituted, namely :-

"provided that the authorised officer shall hold a meeting of the Evaluation Committee comprising of representatives of the aforesaid agencies for evaluation and disposal of the forfeited goods through them :

provided further that."

[F. No. 18/4/88-DCH/CEO (99)/Vol. III]

ARUN GUPTA, Addl. Secy. & Development Commissioner (Handlooms)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000